न्यायालय अपर कलेक्टर (विकास), मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं विहित प्राधिकारी बुरहानपुर

(11)

माल 3070 दि 07/09/18 प्रकरण क्रमांक 11/सी–145(धारा 40)/2017–18 दिनांक 12.03.2018

म.प्र. शासन (मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर)

विरुध्द

1. श्रीमति रेखाबाई पति उमाकांत चौधरी, सरपंच
2. श्री उमाशंकर वर्मा, सचिव
3. श्री संतोष महाजन, ग्राम रोजगार सहायक
ग्राम पंचायत बिरोदा

(पारित आदेश दिनांक 07.09.2018)

प्रस्तुत प्रकरण शिकायतकर्ता श्री धर्मराज देवचंद महाजन निवासी बिरोदा द्वारा ग्राम पंचायत बिरोदा द्वारा सार्वजनिक फार्मपौण्ड एवं अन्य निर्माण कार्यो में वित्तीय अनियमितता की शिकायत के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर द्वारा कराई गई जांच एवं प्रस्तुत प्रतिवेदन में कमांक 888/ज.पं./पंचायत/2017 बुरहानपुर दिनांक 05.09.2017 के आधार पर अनावेदकगणों के विरूद्ध म.प्र. पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 एवं 92 के तहत अनावेदक सरपंच/सचिव/सहायक सचिव के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया।

मूल प्रकरण लोकायुक्त की कार्यवाही दिनांक 07.02.2018 को किये जाने के उपरांत, गुम हो जाने पर कलेक्टर बुरहानपुर के निर्देशानुसार तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बुरहानपुर द्वारा गुम नस्ती के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु श्री विजय पचौरी परियोजना अधिकारी जिला पंचायत बुरहानपुर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाकर प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु निर्देश दिये गये, साथ ही शिकायतकर्ता की शिकायत के संबंध में जनपद पंचायत कार्यालय से जांच प्रतिवेदन एवं अन्य पत्राचार प्राप्त करने के निर्देश दिये गये, जिसके आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर द्वारा जांच प्रतिवेदन एवं अन्य पत्र उपलब्ध कराये गये जिसके आधार पर दिनांक 07.05.2018 को अनावेदक सरपंच श्रीमति रेखाबाई चौधरी, सचिव श्री उमाशंकर वर्मा, श्री संतोष महाजन, ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत बिरोदा को म.प्र. पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 एवं 92 के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता श्री धर्मराज महाजन द्वारा अपनी शिकायत दिनांक 29.08.2017 में बताया गया कि सार्वजनिक कूप के पास फार्म पौण्ड निर्माण में मृतक लक्ष्मण पिता हरी द्वारा दिनांक 14.06.2016 से 20.06.2016 तक कार्य करना बताकर 1002/–रू. का भुगतान इसी प्रकार दिनांक 30.06.2016 से 27.06.2016 तक भी 1002/–रू की मजदूरी भुगतान तथा द्वारकाबाई बसंता के कपिलधारा कूप निर्माण में दिनांक 17.05.2016 से 23.05.2016 तक मृतक लक्ष्मण हरी से कार्य कराना बताकर मजदूरी आहरण की गई है जिसकी जांच कराकर कानूनी कार्यवाही करने का निवेदन किया गया है। इस शिकायत के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर द्वारा अपने पत्र कमांक/9031 बुरहानपुर दिनांक 12.09.2017 द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर बताया गया कि मस्टररोल कमांक 1148, 2365 एवं 2787 में मृतक लक्ष्मण पिता हरी द्वारा कार्य किया जाना दर्शाकर 3006/–रू मजदूरी राशि आहरण करने के लिए ग्राम रोजगार सहायक एवं पंचायत सचिव को उत्तरदायी बताया गया, साथ ही प्रतिवेदन कमांक 905 दिनांक 12.09.2017 में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर द्वारा मृतक व्यक्ति के नाम से कुल 3006/–रू सरपच बिरोदा श्रीमति रेखाबाई चौधरी, सचिव श्री उमाशकर वर्मा, सहायक सचिव श्री संतोष महाजन से समान रूप से वसूली योग्य होने तथा फर्जीवाडा करने के लिये जिम्मेदार मानते हुये म.प्र. पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 एवं 92 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करने का निवेदन किया गया। जिसके आधार पर प्रकरण दर्ज किया गया।

अनावेदक श्री संतोष गोपाल महाजन द्वारा दिनांक 14.05.2018 को अपने लिखित जवाब में बताया गया कि :–

1. वह दिनांक 05.10.2010 से 7 वर्षो से ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत बिरोदा के पद पर पदस्थ रहा है एवं दिनांक 12.09.2017 को उसकी संविदा अवधि धर्मराज महाजन की शिकायत पर समाप्त कर दी गई।

276

2. ग्राम पंचायत द्वारा राजू पिता लक्ष्मण की मांग पर द्वारकाबाई बसंता के कपिल धारा कूप में मस्टर कमांक 1148 सामुदायिक कूप के पास फार्म पौण्ड निर्माण में मस्टर कमांक 2365, सार्वजनिक कूप निर्माण के मस्टर कमांक 2787 में मृतक लक्ष्मण पिता हरी का नाम अंकित है। परन्तु उक्त दिनांकों में 400 से 500 मजदूर कार्य पर चल रहे थे जिसके कारण मजदूरों का चिन्हाकन करना संभव नही था। ग्राम पंचायत अन्तर्गत उसके पास अधिकार होने एवं कार्यस्थल पर मजदूर द्वारा फेटा एवं मुह पर कपडा बांधकर तथा महिलाओं द्वारा घुंघट डालकर कार्य करने से मजदूरों का चिन्हाकन करना संभव नही था। इन कार्यो में हितग्राहीयों को ही मुकादम का कार्य दिया गया था जो कि राजू पिता लक्ष्मण ही था और उसके द्वारा ही लक्ष्मण पिता हरी का मस्टर भरकर षडयंत्र पूर्वक हस्ताक्षर किये है। जिसका एफटीओं उसके द्वारा राजू पिता लक्ष्मण के खाते में किया गया एवं राशि आहरण लक्ष्मण हरी के नाम से राजू पिता लक्ष्मण द्वारा किया गया।

3. उसके पास कार्यो की अधिकता होने के कारण मानवीय भूल के कारण मृतक लक्ष्मण पिता हरी की मजदूरी का भुगतान मृतक के खाते में जनपद पंचायत द्वारा किये गये एफटीओं के माध्यम से हुआ है।

4. मृतक हरी पिता लक्ष्मण की राशि राजू पिता लक्ष्मण द्वारा गलत आहरीत कर लिये जाने के कारण उसे दिनांक 11.09.2017 को सूचना पत्र दिया गया परन्तु राजू द्वारा सूचना पत्र नही लिया जाने के कारण दिनांक 18.09.2017 को थाना लालबाग को भी सूचना पत्र दिया गया है। इस आधार पर राजू पिता लक्ष्मण से ही वसूली की कार्यवाही किया जाना उचित है। उक्त आधारों पर संतोष महाजन द्वारा किसी भी प्रकार कि वित्तीय अनियमितता न की जाकर शासकीय राशि का गबन था धोकाधडी नही की गई है। अतः प्रकरण समाप्त करने का निवेदन किया गया।

सचिव श्री उमाशंकर वर्मा द्वारा अपने लिखित जवाब दिनांक 14.05.2018 में बताया है कि मनरेगा योजना अन्तर्गत मृतक लक्ष्मण हरी का नाम जिन दिनांको में मस्टर रोल पर अंकित है, उन दिनांको में मनरेगा योजनानतर्गत अन्य कार्यो पर 450 से 500 मजदूर कार्यरत थे, इतने कार्यो में मजदूर सह व्यक्ति का चिन्हाकन करना असंभव है, मृतक के पूत्र राजू लक्ष्मण द्वारा ही ग्राम पंचायत में जाबकार्ड प्रस्तुत किया गया था तथा उसी के द्वारा ही कार्यो पर मजदूरी का कार्य किया गया है, तथा जनपद पंचायत बुरहानपुर द्वारा एफटीओं के माध्यम से भुगतान श्री राजू लक्ष्मण द्वारा के बैंक खाते में जमा हुआ जो उसी के द्वारा आहरण किया गया। राजू लक्ष्मण द्वारा षडयंत्र कर मस्टर पर हस्ताक्षर किये गये है एवं कार्य स्थल पर कार्य हुआ है जिस आधार पर ही भुगतान हुआ है। मस्टर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा भी सत्यापन किया गया है साथ ही हितग्राहीयों द्वारा भी सत्यापन किया गया है इस कारण से मानवीय हानि हुई है। श्रीमान से निवेदन है कि उक्त दिनांक में मेरे पास दो पंचायतों का प्रभार था तथा कार्य की अधिकता एवं अत्यन्त भार से मानवीय हानि हुई है। मेरे द्वारा किसी भी प्रकार से शासकीय राशि का गबन या धोखाधडी नही की है।

अनावेदिका श्रीमति रेखाबाई उमाकांत चौधरी द्वारा अपने जवाब दिनांक 14.05.2018 में बताया कि ग्राम पंचायत बिरोदा की वर्तमान में निर्वाचित सरपंच हूँ। सरपंच चूनाव में अनावेदिका शिकायतकर्ता धर्मराज की पत्नि सुमीत्रा बाई से चूनाव जीतकर सरपंच बनी है। इस कारण उक्त शिकायतकर्ता श्री धर्मराज महाजन एवं उसके हितैशी व संबंधित लोगो के द्वारा इस अनावेदिका के विरूद्ध असत्य आधारो पर चूनाव रंजीशवश बार–बार झूठी शिकायत की जा रही है ताकि असत्य शिकायतों की जांच में उलझी रहे एवं अनावेदिका ग्राम बिरोदा में विकास कार्य ना करा सके।उसी आश्रय से यह शिकायत की गई है जो निरस्त किया जाना उचित है। यह की अनोवदिका पर मृतक की ग्राम में मनरेगा के कार्यो में मस्टर रोल में हाजरी भरकर उसकी मजदूरी राशि फर्जी रूप से दिये जाने का आरोप है, परन्तु यह अनावेदिका का कार्य शासकीय योजनाओं का सुव्यवस्थित हो रहा है या नही यह देखना होता है परन्तु मौके पर जाकर कितने मजदूर कार्य कर रहे है , कौन काम कर रहा है तथा उन मजदूरों की हाजरी/उपस्थिति दर्ज करना व उनके हस्ताक्षर अंगूठा मस्टर रोल पर लेना तथा उससे संबंधित संपूर्ण कार्य की जवाबदारी मौके पर उपस्थित संबंधित मेट की होती है तथा उस संबंध में कोई भी उत्तरदायित्व व जवाबदारी सरपंच की नही होती है वैसे भी अनावेदिका महिला सरपंच है और फिल्ड में उपस्थित रहने की उस संबंध में उसकी विधिक बाध्यता नही है। यह कि मस्टर रोल के संबंध में कोई शिकायत होने पर या सत्यापन किये जाने का या किसी की जांच में मस्टर रोल में जिन व्यक्तियों ने कार्य नही किया है। उनके नाम से मजदूरी का भुगतान हुआ पाये जाने पर इस संबंध में पूर्ण रूप से विधि अन्तर्गत मेट को उत्तरदायित्व माना जाकर उसी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के प्रावधान है। म.प्र. राज्य के राजपत्र कमांक/1779/MGNREGS-MP/NR-3/SE-/2013 भोपाल दिनांक 20.0.2013/2751/NR-2/MGNREGS-MP/2013 भोपाल दिनांक 15.03.2013 तथा /5511/MGNREGS-MP/NR-3/SE-/2013 भोपाल दिनांक 26.06.2013 के अनुसार मस्टर रोल संबंधित सभी उत्तरदायित्व के लिए मेट को जिम्मेदार माना है। इसलिए अनावेदिका के विरूद्ध इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही विधि अन्तर्गत नही की जा सकती है। अनावेदिका पर कोई आरोप बिधि अन्तर्गत प्रमाणित नहीं होता है तथा किसी शासकीय योजना के कार्य चयनित स्थल से लेकर कार्य पूर्ण होने तक के संपूर्ण कार्य के लिए सचिव, सहायक सचिव, संबंधित मेट, सहायक यंत्री, सहायक लेखाधिकारी जिम्मेदार जवाबदार रहते है। क्योकि शासकीय योजनाओं के आहरण एवं वितरण के संबंध में मेट नही है। सचिव, सहायक सचिव, सहायक यंत्री,

237

सहायक लेखाधिकारी जिम्मेदार जवाबदार होने से इस अनावेदिका के विरूद्ध उक्त प्रकरण में आवेदिका सरपंच का कोई लेना देना नही है। यह कि यह अनावेदिका पर कोई आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित नही है उक्त मृतक में मस्टर रोल मे हाजरी भरने से लेकर उसकी राशि के आहण के संबंध मे इस अनावेदिका को कोई लेना देना नही है इस अनावेदिका का विधी अन्तर्गत इस संबंध में कोई उत्तरदायित्व न होने से इस अनावेदिका के विरूद्ध प्रकरण निरस्त किये जाने योग्य है। म.प्र. राज्य के परिपत्र कमांक /1779/MGNREGS-MP/NR-3/SE-/2013 भोपाल दिनांक 20.02.2013 के परिपत्र कमांक 2 के अनुसार कडिका कमांक ग्राम स्तर 1 जॉबकार्ड रजिस्टर को अद्यतन किया जाना 1.1 से लेकर 1.6 तक बहार गए व्यक्ति ग्राम छोडकर चले गए व्यक्ति मृत्यु व्यक्ति 3 साल तक कार्य पर नही आने वाले व्यक्ति कि सूची तैयार करना तथा जॉबकार्ड पंजी की सूची तैयार करना मेट तथा रोजगार सहायक को ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिशा दिर्नेश–2013 जारी किये गये है। उक्त दिशा निर्देशों के आधार पर प्रदेश में कार्यो का निष्पादन किया जाना महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम के तहत कार्यो के निष्पादन हेतु मार्गदर्शिका है। अतः प्रार्थना है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर के पत्र द्वारा परिपत्र कमांक 2 पत्र कमांक/1779/दिनांक 20.02.2013 के अनुसार पत्र में सरपंच कि कोई जवाबदेहि उल्लेखित नही है। पत्र कमांक /5511/MGNREGS-MP/NR-3/SE-/2013 भोपाल दिनाक 26.06.2013 के पत्र अनुसार कंडिका कमांक 6 प्रेग्राफ कमांक 1 के अन्तर्गत सरपंच/सचिव के विरूद्ध मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा 25 के तहत राशि रू 1000/– तक का अर्थदंड का प्रावधान होकर संपूर्ण जवाबदारी मेट सचिव एवं सहायक सचिव की उपरोक्त नियमावली अनुसार दर्शाई गई है। मृतक लक्ष्मण के नाम से मस्टर रोल में नाम लिखकर मस्टर रोल में राशि आहरण करने का प्रश्न है तो मस्टर रोल रोजगार सहायक भरता है, और यह राशि जनपद पंचायत बुरहानपुर से मजदूरी की राशि बैंक खातें में जमा होती है। जिसमें सरपंच और ग्राम पंचायत का कोई लेना देना नही होता है। मृतक लक्ष्मण का पुत्र राजेन्द्र उर्फ राजू लक्ष्मण ने बैं खाते से राशि आहरण की है। आहरण करने वाला राजू शिकायतकर्ता का संबंधित होन से जानबुझकर राशि निकाल कर अनुचित लाभ प्राप्त किया है। इसलिये राशि आहरणकर्ता को दिनांक 11.09.2017 को सूचना पत्र दिया गया है। सूचना पत्र नही लेने पर उसके घर पर ग्राम पंचायत के चपरासी द्वारा चस्पा कर दिया गया है। दिनांक 18.09.2017 को सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा थाना लालाबाग को सूचना पत्र द्वारा निवेदन किया गया कि मनरेगा की राशि राजेन्द्र उर्फ राजू लक्ष्मण के बैंक खाते में जनपद पंचायत द्वारा त्रुटीवश एफटीओं से कि गई है। उक्त राशि वसूली के लिए एवं कार्यवाही के लिए सूचना पत्र दिया गया है। जो कि धोखाधडी का मामला राजू पिता लक्ष्मण के उपर 471 भा.द.त. के प्रावधान के तहत पंजीबद्ध करना उचित होगा। जिसमें सरपंच के विरूद्ध कोई जवाबदेही नही होने से मुझ पर जो धारा 40 के तहत दर्ज प्रकरण के प्रकाश में अनावेदिका सरपंच के विरूद्ध उक्त प्रकरण समाप्त किये जाने की कृपा की जावें।

सहायक लेखाधिकारी एवं जांच अधिकारी श्री परीमल शाह द्वारा अपने कथन दिनांक 21.05.2018 में बताया है कि उसके द्वारा शिकायतकर्ता धर्मराज महाजन की शिकायत की जांच की गई थी जिसमें मृतक लक्ष्मण पिता हरी द्वारा 18 दिन कार्य किया जाना एवं उसकी मजदूरी की राशि मृतक लक्ष्मण के पुत्र राजू पिता लक्ष्मण के खाते में जमा हुई है जिसका आहरण राजू पिता लक्ष्मण द्वारा किया गया है। श्री शाह द्वारा यह भी बताया गया कि ग्राम पंचायत बिरोदा में द्वारकाबाई बसंता के कपीलधारा कूप निर्माण, सामुदायिक कूप निर्माण एवं सार्वजनिक कूप के पास फार्मपौण्ड निर्माण में मृतक लक्ष्मण पिता हरी के नाम से पंचायत द्वारा नियम विरूद्ध तरीके से भुगतान किया गया है।

दिनांक 21.06.2018 को अनावेदक सचिव उमाकांत वर्मा एवं तत्का. ग्राम रोजगार सहायक श्री संतोष महाजन द्वारा 01 लिखित पत्र देकर राशि 3006/–रू निकाली गई थी, उक्त राशि जनपद पंचायत बुरहानपुर के खाते में उनके द्वारा दिनांक 08.06.2018 को जमा कर दी गई है। जिसकी रसीद संलग्न है। इस कारण उन्हे दोषमुक्त कर प्रकरण समाप्त करने का निवेदन किया है।

आवेदक धर्मराज महाजन द्वारा अपने लिखित तर्क दिनांक 06.07.2018 में बताया है कि उसके द्वारा अनावेदकगणों के विरूद्ध दिनांक 30.08.2017 को जिला कलेक्टर एवं अधिकारियों को मृतक लक्ष्मण पिता हरी के नाम से राशि निकालकर शासकीय राशि का गबन किये जाने की शिकायत की थी जिसकी जांच मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर द्वारा सहायक लेखाधिकारी मनरेगा, श्री परीमल शाह से कराई जाकर दिनांक 12.09.2017 को मृत व्यक्तियों के नाम कुल 3006/–रू की राशि निकाला जाना पाये जाने के आधार पर अधिनियम की धारा 40 एवं 92 के तहत कार्यवाही किया जाना प्रतिवेदित किया है। शिकायतकर्ता के अनुसार जांच अधिकारी श्री परीमल शाह के कथनों में भी मृतक व्यक्ति के नाम राशि आहरण किया जाना प्रमाणित है, इस आधार पर अनावेदकगणों के विरूद्ध अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही करने एवं अपराधिक प्रकरण दर्ज कराने का अनुरोध किया है।

925

अनावेदिका सरपंच श्रीमति रेखाबाई चौधरी द्वारा अपने लिखित तर्क में बताया है कि :—

1. अनावेदिका ग्राम बिरोदा की सरपंच महिला है तथा मृतक लक्ष्मण के नाम से तथाकथित मनरेगा में कार्य के आहरण का जो आरोप लगा है उससे इस अनावेदिका का कोई लेना देना नही है क्योकि मनरेगा का कार्य के मौके पर कियान्वयन की जिम्मेदारी उपयंत्री, सचिव एव सहायक सचिव की होती है जिस दिनांक का तथाकथित फर्जी आहण बताया जा रहा है उस दिनांक को अनावेदिका मौके पर कार्य स्थल पर उपस्थित नही थी तथा अत्यधिक मजदूर कार्य करने के कारण उन्हे पृथक—पृथक चिन्हित करना संभव नही है।
2. मनरेगा मे मौके पर कार्य कराने की जिम्मेदारी सरपंच की नही होने से उसका दायित्व/उत्तरदायित्व अनावेदिका का नही बनता है।
3. किसी भी मजदूर के कार्य करने के इंद्राज मस्टर रोल में दर्ज होते है मस्टर रोल भरने का कार्य मेट एवं ग्राम रोजगार सहायक का होता है तथा मस्टर रोल भरने संधी संपूर्ण जिम्मेदारी जवाबदारी विधि अन्तर्गत मेट की होती है। इस संबंध में म.प्र. के राजपत्र कमांक/1779/MGNREGS /NR-3/SC/2013 भोपाल दिनांक 22.02.2013/2751 एवं MGNREGS /NR-3/2013 भोपाल दिनांक 15.03.2013 तथा /2511/MGNREGS-MP /NR-3/SE-1/2013 भोपाल दिनांक 26.06.2013 में मस्टर रोल संबंधी सभी इंद्राज एवं कार्य एवं कार्यवाहियों के लिए मेट/सचिव/सहायक सचिव को जिम्मेदार माना है तथा इसमें सरपंच की कोई जिम्मेदारी जवाबदारी नही होती इसलिए उक्त संबंध में इस अनावेदिका के विरूद्ध विधि अन्तर्गत कोई प्रकरण नही बनता इसलिए उसे निरस्त किया जाना उचित है।
4. जिस तथ्य का विवाद है उसकी तथाकथित 3006/— रूपये की राशि निलंबित सचिव उमाशंकर वर्मा के द्वारा जनपद पंचायत बुरहानपुर में दिनांक 08.06.2018 को रसीद कमांक 84 के माध्यम से नगद जमा करा दी है। इसलिए भी मूलतः कोई विवाद शेष नही है।
5. विधिक रूप से उक्त सारे विवाद को कोई उत्तरदायित्व अनावेदिका सरपंच का नही है। अनावेदिका सरपंच महिला है तथा मौके पर भौतिक रूप से हर निर्माण स्थान पर व्यक्तिगत रूप से उसका जाना संभव नही है। इसलिए भी उसके विरूद्ध उक्त प्रकरण अपास्त किया जाना उचित है।

मेरे द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत प्रतिवेदन अनावेदकगणों के जवाब दस्तावेजों एवं उभयपक्षों के लिखित तर्कों का अध्ययन एवं मनन करने पर पाया जाता है कि :—

1. ग्राम पंचायत बिरोदा जनपद पंचायत बुरहानपुर के अन्तर्गत द्वारकाबाई के कपिलधारा कूप, सार्वजनिक कूप एवं सार्वजनिक कूप के पास फार्मपौण्ड निर्माण कार्य में मृतक लक्ष्मण पिता हरी द्वारा कुल 18 दिन का कार्य किया जाना दर्शाया जाकर मजदूरी राशि रूपये 3006/— मृतक के पुत्र राजू पिता लक्ष्मण के खाता कमांक 950441820001262 में जमा की गई है जिसका आहरण राजू पिता लक्ष्मण द्वारा किया गया है।
2. कार्य के दौरान रोजगार सहायक श्री संतोष महाजन द्वारा मजदूरों को सत्यापन किये बगैर मस्टररोल लापरवाही पूर्ण तरिके से किया गया है और मृतक व्यक्ति के नाम वैजलिस्ट जनरेट की गई है। जिसके कारण उसकी संविदा समाप्त की जा चुकी है।
3. अनावेदक सचिव की श्री उमाकांत चौधरी द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से न करते हुए मृतक व्यक्ति श्री लक्ष्मण पिता हरी के नाम गलत भुगतान कराने में सहयोग किया गया है जिसके लिए वही जिम्मेदार है। अतः श्री वर्मा के विरूद्ध पृथक से अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव भेजा जाना उचित है।
4. अनावेदिका श्रीमति रेखाबाई के लिखित जवाब एवं तर्को की यह बात मानने योग नही है कि ग्राम पंचायत सरपंच की जिम्मेदारी मस्टररोल जांच उपरान्त मजदूरी भुगतान की नही है मेरी राय में सरपंच की यह जिम्मेदारी थी कि वह देखे की मृतक व्यक्ति के नाम गलत भुगतान न हो क्योकि भुगतान पत्रकों/वेजलिस्ट पर अनावेदिका सरपंच के हस्ताक्षर है।
5. मृतक लक्ष्मण पिता हरी के नाम से निकाली गई राशि जनपद पंचायत बुरहानपुर में 08.06.2018 को अनावेदक सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक द्वारा जमा करा दी गई है।

229

6. सरपंच ग्राम पंचायत बिरोदा श्रीमति रेखाबाई द्वारा दिनांक 29.08.2017 को सरपंच पद पर त्याग पत्र दिया जाकर स्वीकृत हो चुका है।

उक्त आधारो पर अनावेदक सचिव श्री उमाकांत वर्मा को मतृक व्यक्ति श्री लक्ष्मण पिता हरी को शासकीय राशि भुगतान करने में सहयोग देने के लिऐ अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव जिला पंचायतराज अधिकारी को भेजा जावें। अनावेदक ग्राम रोजगार सहायक श्री संतोष महाजन को प्रकरण में दोषी मानते हुए संविदा, समाप्त की जा चुकी है, जो उचित है। अनावेदिका श्रीमति रेखाबाई सरपंच द्वारा त्यागपत्र के कारण पद से पृथक करने की आवश्यकता नही है।

आदेश आज दिनांक 07.09.2018 को पारित कर पढकर सुनाया गया।
आदेश खुले न्यायालय में पारित एवं उद्घोषित किया गया।

07/09/2018

(शीलेन्द्र सिंह)
IAS
विहित प्राधिकारी
अपर कलेक्टर(विकास) एवं
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बुरहानपुर

229 230

प्रतिलिपि,

1. जिला पंचायतराज अधिकारी, जिला पंचायत बुरहानपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. संबंधित .....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

9/18

विहित प्राधिकारी
अपर कलेक्टर(विकास) एवं
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बुरहानपुर